

क्रमांक: स. 24—(1)(3) स्था./एपीओ/अभि./2026/01273/

दिनांक:— ई हस्ताक्षरित

—:कार्यालय आदेश:—

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1830 दिनांक 24.06.2026 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित/उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर 15 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निदेशित किया गया था। तदुपरान्त निदेशालय के आदेश क्रमांक 2065 दिनांक 20.07.2026 एवं क्रमांक 2217 दिनांक 31.07.2026 के द्वारा प्रशिक्षण अवधि को निरन्तरता में बढ़ाया गया।

अतः उक्त आदेशों की निरन्तरता में कार्य प्रशिक्षण अवधि दिनांक 30.09.2026 तक बढ़ाई जाकर नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व की भांति यथावत प्रशिक्षण प्राप्त करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अनिशा शर्मा)

अति० निदेशक अभियोजन(न्याय)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

01. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
02. संयुक्त निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम/द्वितीय, जोधपुर।
03. उप निदेशक अभियोजन, जयपुर प्रथम/देहात, कोटपूतली—बहरोड एवं जोधपुर।
04. सम्बन्धित नवनियुक्त अभ्यर्थीगणों को जरिए संबंधित उपनिदेशक अभियोजन कार्यालय द्वारा।
05. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक अभियोजन(न्याय)
राजस्थान, जयपुर